... की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित

11.10.19

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–42/2019

ललिता देवी —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–उदयपुर, थाना नं0–84, खाता नं0–30, प्लॉट नं0–2455 के भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचनाओं के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन तथा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूमि पर बने पक्का एसवेर्स्टस शीट का तीन कमरे वाला मकान है, परन्तु भू–अर्जन पदाधिकारी के कागजातों में केवल दिवाल दर्ज किया है। लेकिन जिस वक्त राष्ट्रीय राज्य मार्ग की ओर से अधिग्रहण के समय 03 डी0 बना था, उसमें कमरा दर्शाया गया है, परन्तु भुगतान के वक्त केवल दिवाल दर्ज करके आवेदक को कम मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा 03 कमरा वाली एसवेर्स्टस शीट की मकान का उचित मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/NHAI वास्ताविकता की जाँच करते हुए अर्जित भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि यदि आवेदक को देय हो तो नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 11/10/19

अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 11/10/19

अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner